कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद,

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ट शाला) आमापारा बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.)

क्रमांक/6268 /आंग्लशाला/संविदा भर्ती/2020 बालोद, दिनांक 12/11/2020

–:: आदेश ::–

छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के आदेश कमांक/एफ 23–08/2020/20–3/1 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 के द्वारा दिये गये पद के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 09.07.2020 एवं साक्षात्कार दिनांक 10.11.2020 एवं 11.11.2020 के आधार पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला (अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ट शाला) आमापारा बालोद में उल्लेखित पद पर संविदा नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जाती है। चयनित अभ्यर्थी उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला (अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ट शाला) आमापारा बालोद में दिनांक 23.11.2020 सायं 05:00 बजे तक कार्यभार ग्रहण कर सकतें है। निर्धारित तिथि के बाद आदेश स्वयमेंव निरस्त माना जावेगा। चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे।

क्र.	पद का नाम	विषय	प्रवर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	पता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	व्याख्याता (संविदा)	संस्कृत	अनारक्षित	राकेश कुमार	श्री कृष्ण कुमार	38100/– (मासिक एकमुश्त देय)	ग्राम+पो. भरारी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

शर्ते :–

01. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन रहेंगे।
02. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे।
03. अभ्यर्थी द्वारा कूटरचित दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
04. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश नही दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महिनों के लिए आनुपातिक आधार पर दिए जायेंगे।

क्रमशः पृष्ठ क्रमांक 02 पर.....

05. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नही करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
06. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक माह का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का नोटिस देकर सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
07. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
08. संविदा भर्ती नियम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश लागू होंगे।
09. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में संबंधित को कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्णकालिक सेवा विद्यालय को देनी होगी।
10. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अन्तर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति पद पर तीन वर्ष कालावधि के लिए की जाती है। तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण होने के उपरांत छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के नियम 11 अंतर्गत उपयुक्तता के आधार पर नवीनीकरण हेतु निर्णय लिया जायेगा।
11. संविदा नियुक्ति छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के उपनियम (2) के अन्तर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृहभाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नही होगी।
12. आवेदक को पदभार ग्रहण करते समय जिला मेडिकल बोर्ड जिला बालोद द्वारा शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

12/11/20
(आर.एल.ठाकुर)
जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव,
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

पृ.क./6269 /आंग्लशाला/संविदा भर्ती/2020 बालोद,दिनांक 12 /11/2020

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा छ.ग.शासन, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला (अंग्रेजी माध्यम की उत्कृष्ट शाला) आमापारा बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ।
06. समस्त चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/कुमारी..को सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव
उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)